2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजेन्द्र कुमार बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार फलोदी) सू.अ.अ. संख्या 81 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र भाटी, पता ओसवालों के न्याति नौहरा के पास, पारसपुरा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.11.16 में उसके द्वारा (1) शंकरलाल पुत्र मोडुराम के वारिसों का नामान्तरकरण करते वक्त उपलब्ध करवाये गए शपथपत्र की प्रतिलिपि तथा नामान्तरकरण फार्म की प्रमाणित प्रति व शंकरलाल पुत्र मोडुराम जाति नाई निवासी होपारड़ी पटवार सर्किल मोखेरी त0 फलोदी नामान्तरकरण संख्या 1017, ख.नं. 9, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार फलोदी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार फलोदी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में चाही गई सूचना दी जावे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	